

आउटकम बजट 2013-14

1. विभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त टिप्पणी:-

➤ **संगठनात्मक ढांचा:-** शासनोदश संख्या 625/ 11-2006-01(34)/04 दिनांक 13 सितम्बर 2006 द्वारा संरचनात्मक ढांचे में 539 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का एक पद, अधीक्षण अभियन्ता के 4 पद, अधिशासी अभियन्ता के 14 पद तथा सहायक अभियन्ता के 38 पदों सहित राजपत्रित श्रेणी के 57 पद, तृतीय श्रेणी के 397 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 85 पद सम्मिलित हैं। इस प्रकार मुख्यालय देहरादून में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का एक पद, पौड़ी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ तथा टिहरी में एक-एक पद अधीक्षण अभियन्ता के, 13 जनपदों तथा मुख्यालय में एक-एक अधिशासी अभियन्ता के पद स्वीकृत किये गये हैं। विभाग में 155 पद रिक्त हैं; जिसमें 49 पद पदोन्नति एवं 106 पद सीधी भर्ती के हैं।

विभाग की उपयोगिता को देखते हुए शासनादेश संख्या 625/ 11-2006-01(34)/04 दिनांक 13 सितम्बर 2006 द्वारा संरचनात्मक ढांचे में 539 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी के 272 पद, लिपिकीय संवर्ग के 182 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 85 पद सम्मिलित हैं। उक्त स्वीकृत पदों में से तकनीकी संवर्ग के 40, लिपिकीय संवर्ग के 23, खण्डीय लेखाधिकारी के 3 पद, आशुलिपिक संवर्ग के 9 पद, बोरिंग टैक्नीशियन संवर्ग के 17 पद, वाहन चालक के 4 तथा अनुसेवक के 24 पद रिक्त हैं।

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	मुख्य अभियन्ता स्तर-1	1	1	—
2	अधीक्षण अभियन्ता	4	1	3
3	अधिशासी अभियन्ता	14 + 1 (संगणना)	11 + 1 (संगणना)	3
4	सहायक अभियन्ता	38	36	2
5	कनिष्ठ अभियन्ता	145	82 + 31(संविदा पर)	32
6	अन्य कार्मिक	337	253	84 + 6 (अधिसंख्यक पद)
	योग	539	415	124

नोट:- 1. कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्वीकृत 145 पदों में से 91 कनिष्ठ अभियन्ता नियमित नियुक्ति के हैं, शेष 49 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है तथा 23 पदों का, जो कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं, का अधियाचन प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की को भेजा गया है।

2. अमीन/अनुरेखक संवर्ग विभागीय संरचनात्मक ढांचे में मृत घोषित होने के कारण अमीन के 2 पद व अनुरेखक के 5 रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जानी है।
3. विभागीय संरचनात्मक ढांचे में, अनुसचिवीय संवर्ग के पदों का पुर्नगठन होने के फलस्वरूप कनिष्ठ सहायक के पूर्व स्वीकृत ढांचे में स्वीकृत पदों पुर्नगठन के फलस्वरूप कमी होने के कारण 6 पद अधिक कार्यरत हैं।

विभागीय कार्यक्रमों का स्तर

लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्त तक 27555.23 कि०मी० सिंचाई गूल निर्माण, 34444 सिंचाई हौज, 1485 हाईड्रम, 54876 बोरिंग/पम्पसेट, 706 गहरे/मध्यम नलकूप, 245 आर्टीजन कूप, 39 छोटे गेटेड वियर एवं 150 भूस्तरीय पम्पसेट का निर्माण/स्थापना कर कुल 481506.94 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। वर्ष 2012-13 में माह मार्च 2013 तक 1190.71 कि०मी० सिंचाई गूल, 1594 सिंचाई हौज, 11 आर्टीजन वैल, 8 हाईड्रम, 234 बोरिंग/पम्पसेट, 04 छोटे गेटेड वियर तथा 3 गहरी बोरिंग की स्थापना कर, 13510.71 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

➤ विभाग द्वारा संचालित योजनाएं/कार्यक्रमों की सूची तथा तद्विषयक लक्ष्य एवं नीतियाँ।

1. जिला योजना :

जनपदों में ग्राम पंचायतों से आवश्यकतानुसार प्राप्त प्रस्तावों पर जिला अनुश्रवण समिति/जिला पंचायत अध्यक्षों से अनुमोदित योजनाओं का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाता है। वर्तमान में निविदा पद्धति के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त योजनायें जल उपभोक्ता समूह को हस्तान्तरित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में शासन द्वारा रू० 224.50 लाख के स्वीकृत बजट प्राविधान के सापेक्ष रू० 224.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसमें से रू० 34.05 लाख गूल, हौज, पाईप लाईन के निर्माण हेतु समस्त धनराशि का आवंटन सम्बन्धित जिला पंचायत को कर दिया गया है तथा उनके द्वारा इस धनराशि का उपयोग, इन योजनाओं के निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह मार्च 2013 तक शत-प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला योजनान्तर्गत रू० 1025.75 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

2. राज्य योजना (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों हेतु योजनाएं)

राज्य योजना के अंतर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान (SCSP) तथा ट्राईबल सब प्लान (TSP) के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत है। वर्ष 2012-13 में स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान के अन्तर्गत रू0 3305.36 लाख का परिव्यय अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल, हौज, एवं पाईप लाईन के निर्माण हेतु स्वीकृत है। इसी प्रकार ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत रू0 90.00 लाख का बजट अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल, हौज एवं पाईप लाईन के कार्यों हेतु स्वीकृत है। शासन द्वारा जिला पंचायतों के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायतों को धनराशि प्रेषित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्य किया जायेगा तथा विभाग द्वारा उनका तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह मार्च 2013 तक स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान अन्तर्गत आतिथि तक धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है तथा ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत रू0 55.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसका शत-प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान (SCSP) के अन्तर्गत रू0 332.50 लाख एवं ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत रू0 124.00 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

3. केन्द्र पोषित योजना (त्वरित सिंचाई लाभ योजना)

भारत सरकार के केन्द्रीय जलायोग, प्रबंधन एवं मूल्यांकन निदेशालय द्वारा सिंचाई सेक्टर में आर्थिक सुधार के लिए 90:10 प्रतिशत केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुपात में 2002-03 से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, संशोधित दिशा निर्देशानुसार योजनाओं को समयान्तर्गत पूर्ण करने पर केन्द्रांश का 100 प्रतिशत ग्रांट के रूप में परिवर्तित हो जायेगा तथा 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राज्य सरकार को वहन करना होगा।

त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 हेतु रू0 54277.79 लाख रू0 की परियोजनाएं, जिनमें 652 कलस्टर/एकल योजनाएं (कुल 5999 उपयोजनाएं) स्वीकृत की गयी है। उक्त योजना में 3618.42 किमी⁰ सिंचाई गूल, 3024 सिंचाई हौज, 10 हाईड्रम, 02 छोटे गेटेड वियर एवं 825246 मी⁰ पाईप लाइन का निर्माण प्रस्तावित है, जिनके निर्माण से 42848.56 हैक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में ए0आई0बी0पी0 योजना (2010-12) के अन्तर्गत माह मार्च 2013 तक 10681.92 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जा चुका है।

➤ महिलाओं के सम्बन्ध में कार्यक्रम:-

विभाग में महिलाओं के सम्बन्ध में पृथक से कोई कार्यक्रम नहीं है।

2. विभाग द्वारा प्रस्तावित (वर्ष 2013-14 की) प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में सूचना:-

योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले रु0 लाख में		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट		समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम		बजट प्राविधान (रु0 लाख में)
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान (समय सीमा 1 वर्ष)		नान प्लान	प्लान (समय सीमा 1 वर्ष)	
जिला योजना									
1. मशीनरी एवं उपस्कर-नवीन सम्पूर्ति	विभागीय कार्य कराने हेतु मशीनों एवं उपकरणों की खरीद की जानी प्रस्तावित है।		6.50		मशीनों एवं उपकरणों की आपूर्ति	1 वर्ष		मशीनों एवं उपकरणों की आपूर्ति	6.50
2. हाई0 स्प्रिंकलरों का निर्माण	पर्वतीय क्षेत्रों में बिना विद्युत अथवा डीजल के झरनों एवं नालों से जल को उठाकर(लिफ्ट कर) कृषि क्षेत्रों तक ले जाने हेतु प्रस्तावित है		22.68		हाई0योजनाओं का सुदृढीकरण	1 वर्ष		हाई0योजनाओं का सुदृढीकरण	22.68
3. अन्य व्यय	हाईड्रम एवं सिंचाई गूल तथा सिंचाई हौज की छोटी वार्षिक मरम्मत करने हेतु प्रस्तावित है।		371.00		हाई0योजनाओं की मरम्मत	1 वर्ष		हाई0योजनाओं की मरम्मत	371.00
4. गूल, हौज एवं पाईनलाईन का निर्माण	पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध जल को खेतों तक पहुँचाकर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित।		28.60		3 Km Irr. Gule & 2 Nos. Irr. Hauz	1 वर्ष		20.00 Hect.	28.60
4. आर्टीजन कूपों का निर्माण	मैदानी क्षेत्रों (फुटहिल) आर्टीजन बेल्ट में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित।		121.00		12 Nos.	1 वर्ष		240.00 Hect.	50.00
5. जनपदों में गोदामों का निर्माण	विभागीय निर्माण सामग्री रखने हेतु जनपदों में गोदामों का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्तावित।		68.75		विभागीय निर्माण सामग्री रखने हेतु	1 वर्ष		विभागीय निर्माण सामग्री रखने हेतु	20.00
6. बोरिंग तथा पम्पसेट हेतु अनुदान	लघु तथा सीमान्त कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बोरिंग तथा पम्पसेट पर अनुदान दिया जाने हेतु प्रस्तावित।		11.00		11 Nos.	1 वर्ष		50.00 Hect	11.00
7. ग्रेवैटी गूल मरम्मत/अनुरक्षण	जनपदों में दैवीय आपदा/भारी वर्षा/भूस्खलन आदि से क्षतिग्रस्त सिंचाई गूलों के मरम्मत/अनुरक्षण/पुनरोद्धार प्रस्तावित है।		396.22		-	1 वर्ष		-	0.00
योग जिला योजना			1025.75					310.00 Hect	218.78
राज्य योजना									
1. जनजाति क्षेत्रान्तर्गत आर्टीजन कूपों का निर्माण	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आर्टीजन कूपों का निर्माण प्रस्तावित		49.50		5 Nos. Artesian	1 वर्ष		100.00 Hect.	49.50

	है।							
2. जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल स्रोतों को खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	49.50		6 Km Irr. Gule & 5 Nos. Irr. Hauz	1 वर्ष		76 Hect.	49.50
3. जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत गहरी बोरिंग का निर्माण	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गहरी बोरिंग कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना	25.00		25 Nos. of Deep Boring	1 वर्ष		264 Hect.	15.00
योग टी0एस0पी0		124.00					440 Hect.	114.00
1. अनुसूचित जाति लाभार्थ गूल, हौज एवं पाईपलाइन का निर्माण	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल स्रोतों को सिंचाई गूल एवं सिंचाई हौज पाईनलाईन द्वारा खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	82.50		9 Km Irr. Gule & 11 Nos. Irr. Hauz	1 वर्ष		142.00 Hect.	82.50
2. अनुसूचित जाति लाभार्थ गहरी बोरिंग हेतु अनुदान	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गहरी बोरिंग कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना	200.00		200 No. of Deep Boring	1 वर्ष		2308.00 Hect.	100.00
3. अनुसूचित जाति लाभार्थ आर्टीजन कूपों का निर्माण	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना	50.00		10 Nos. of Artesian	1 वर्ष		200.00 Hect.	0.00
योग एस0सी0एस0पी0		332.50					2650 Hect	182.50
1. आवासीय/अनावसीय भवन निर्माण	कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासन की टी0एस0सी0 द्वारा 322.81 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत है।	250.00		टी0एस0सी0 द्वारा 414.41 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।				
2. अटल आदर्श ग्रामों में गूल, हौज पाईप लाईन का निर्माण	-	1.00		-	1 वर्ष	-	-	
योग राज्य सेक्टर		425.00					3405 Hect	296.50
केन्द्रपोषित योजना								
1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई गूल एवं सिंचाई हौज पाईपलाइन का निर्माण	पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई गूल एवं सिंचाई हौज पाईपलाइन का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।	21585.00		1700 Km Irr. Gule, 300 Irr Hauz,	1 वर्ष		10940.00 Hect.	20660.00
2. टी0एस0पी0 (ए0आई0बी0पी0)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	1090.00		197.00 Km Gule, 50 Irr. Hauz	1 वर्ष		1222.00 Hect.	414.00
3. एस0सी0एस0पी0 (ए0आई0बी0पी0)	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	2325.00		285.00 Km Irr. Gule, 97 Irr. Hauz	1 वर्ष		1788.00 Hect.	3926.00
4. कृत्रिम भू-जल संचय		1.00		-	1 वर्ष		-	-
5. हाईड्रमों का सुदृढीकरण एवं		1.00		-	1 वर्ष		-	-

अनुरक्षण									
6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	लघु सिंचाई विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित क्षतिग्रस्त गूल, हाईड्रम योजनाओं की मरम्मत, पुनरोद्धार हेतु		0.01		-	1 वर्ष		-	-
7. ड्रिप/स्प्रिंकलर के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना	-		1.00		-	1 वर्ष		-	-
योग केन्द्रपोषित योजना			25003.01			1 वर्ष		139500.00 Hect.	25003.01
योग लघु सिंचाई			26736.26			1 वर्ष		17350.00 Hect.	25718.29

➤ विभाग में किये गये सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल (Initiatives):-

1. विभाग में गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं आउटपुट/आउटकम को गुणवत्तापरक बनाने हेतु मस्टररोल पद्धति के स्थान पर निविदा पद्धति के आधार कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है।
2. योजनाओं के गुणवत्तापरक निर्माण व कार्य प्रणाली में सुधारार्थ तृतीय पक्ष से अनुश्रवण व परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
3. उन्नतशील कृषकों के साथ कार्यशाला आयोजित कर, योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन फसल चक्र आदि में समुचित सुधार हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा रहा है।
4. योजनाओं के निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक स्तर (मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता) स्तर पर उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है।

➤ गत वर्ष की परफॉरमेन्स समीक्षा वर्ष 2012-13

योजना का नाम	उद्देश्य	आउट ले		आउट पुट		लक्षित आउपुट के सापेक्ष उपलब्धि (Achievement)	आउटकम		लक्षित आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि (Achievement)
		नान प्लान	प्लान	नान प्लान	प्लान		नान प्लान	प्लान	
जिला योजना									
1. मशीनरी एवं उपस्कर-नवीन सम्पूर्ति	विभागीय कार्य कराने हेतु मशीनों एवं उपकरणों की खरीद की जानी प्रस्तावित है।		5.85			मशीनों एवं उपकरणों की आपूर्ति		मशीनों एवं उपकरणों की आपूर्ति	-
2. हाई0 स्प्रिंकलरों का निर्माण	पर्वतीय क्षेत्रों में बिना विद्युत अथवा डीजल के झरनों एवं नालों से जल को उठाकर(लिफ्ट कर) कृषि क्षेत्रों तक ले जाने हेतु प्रस्तावित है		58.62			हाई0योजनाओं की मरम्मत		हाई0योजनाओं की मरम्मत	-
3. अन्य व्यय	हाईड्रम एवं सिंचाई गूल तथा सिंचाई हौज की छोटी वार्षिक मरम्मत करने हेतु प्रस्तावित है।		260.20			हाई0योजनाओं की मरम्मत		हाई0योजनाओं की मरम्मत	-
4. गूल, हौज एवं पाईनलाईन का निर्माण	पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध जल को खेतों तक पहुँचाकर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित।		308.09			-		सिंचन क्षमता में वृद्धि	रू0 34.05 लाख का आवंटन ग्राम पंचायत को किया गया है।
5. आर्टीजन कूपों का निर्माण	मैदानी क्षेत्रों (फुटहिल) आर्टीजन बेल्ट में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित।		110.00		10 Nos.	10 Nos. Artesian		सिंचन क्षमता में वृद्धि	200.00 Hect.
6. जनपदों में गोदामों का निर्माण	विभागीय निर्माण सामग्री रखने हेतु जनपदों में गोदामों का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्तावित।		62.50			विभागीय निर्माण सामग्री रखने हेतु		विभागीय निर्माण सामग्री रखने हेतु	
7. बोरिंग तथा पम्पसेट हेतु अनुदान	लघु तथा सीमान्त कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बोरिंग तथा पम्पसेट पर अनुदान दिया जाने हेतु प्रस्तावित।		10.00		5 Nos.	3 Nos. Deep boring		सिंचन क्षमता में वृद्धि	36.00 Hect.
8. गूलों का पुनरोद्धार/मरम्मत	जनपदों में दैवीय आपदा/भारी वर्षा/भूस्खलन आदि से क्षतिग्रस्त सिंचाई गूलों के मरम्मत/अनुरक्षण/पुनरोद्धार प्रस्तावित है।		0.00						
योग जिला योजना			815.26						236.00 Hect.

राज्य योजना									
1. जनजाति क्षेत्रान्तर्गत आर्टीजन कूपों का निर्माण	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आर्टीजन कूपों का निर्माण प्रस्तावित है।	45.00		5 Nos Artesian	1 Nos. Artesian			सिंचन क्षमता में वृद्धि	20.00 Hect.
2. जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत गूल, हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण	जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल स्रोतों को खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	45.00		4.00 Km Irr. Gule & 10 Nos Hauz	-			सिंचन क्षमता में वृद्धि	
योग टी0एस0पी0		90.00							
1. अनुसूचित जाति लाभार्थ गूल, हौज एवं पाईपलाइन का निर्माण	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में जल स्रोतों को सिंचाई गूल एवं सिंचाई हौज पाईनलाईन द्वारा खेतों में पहुंचाकर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	3305.36		5.00 Km Irr. Gule & 4 Nos. Irr. Hauz	-			सिंचन क्षमता में वृद्धि	-
योग एस0सी0एस0पी0		75.00							
1. आवासीय/अनावसीय भवन निर्माण	कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासन की टी0एस0सी0 द्वारा 322.81 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत है।	322.00		मुख्यालय भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।					
2. अटल आदर्श ग्रामों में गूल, हौज पाईप लाईन का निर्माण	अटल आदर्श ग्रामों में, जहाँ जल स्रोत उपलब्ध है, गूल, हौज पाईपलाइन का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।	200.00		-	-			सिंचन क्षमता में वृद्धि	-
योग राज्य सेक्टर केन्द्रपोषित योजना		687.00							20 Hect.
1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई गूल एवं सिंचाई हौज पाईपलाइन का निर्माण	पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई गूल एवं सिंचाई हौज पाईपलाइन का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।	17672.00		1745.00 Km Irr. gule, 276 Nos. of Irr. Hauz, 3 Nos. of weir	680.03 Km Irr gule, 382 Nos. Hauz, 4 Weir				9842.24 Hect.
2. टी0एस0पी0 (ए0आई0बी0पी0)	अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	390.00		50.00 Km Irr. Gule, 50 Irr Hauz & 1 No. of Weir	27.272 Km Irr. Hauz, 15 No Hauz			सिंचन क्षमता में वृद्धि	548.00 Hect
3. एस0सी0एस0पी0 (ए0आई0बी0पी0)	अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	1370.00		186.00 Irr gule, 85 No. of hauz	33 Km Irr gule, 18 Nos Hauz				291.68 Hect.

4. कृत्रिम भू-जल संचय	-	1.00	-	-	-
5. हाईड्रमों का सुदृढीकरण एवं अनुरक्षण	-	1.00	-	-	-
6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित क्षतिग्रस्त गूल, हाईड्रम योजनाओं की मरम्मत, पुनरोद्धार हेतु	1.00	-	-	-
7. ड्रिप/स्प्रिंकलर के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना	-	1.00	-	-	-
योग केन्द्रपोषित योजना		19435.01			10681.92 Hect.
योग लघु सिंचाई		24080.21			13510.71 Hect.

4 वित्तीय समीक्षा:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	लेखा शीर्षक	बजट प्राविधान	परिव्यय प्राविधान	स्वीकृत परिव्यय	अब तक जारी स्वीकृति	माह 03/13 तक का व्यय
	जिला सैक्टर					
1	2702-80-052-03-26- मशीनरी एवं उपस्कर- नवीन सम्पूर्ति	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
2	2702-80-800-91-01-24- हाईड्रमों का निर्माण	20.00	58.62	58.62	20.00	20.00
3	2702-80-800-91-01-42- अन्य व्यय	80.00	260.20	260.20	80.00	80.00
4	2702-80-800-91-03-25-गूल हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण	34.05	308.09	308.09	34.05	34.05
5	2702-80-800-91-05-24-जनपदों में गोदामों का निर्माण	41.60	62.50	62.50	41.60	41.60
6	2702-80-800-91-06-25-आर्टीजन कूपों का निर्माण	40.00	110.00	110.00	40.00	40.00
7	2702-80-800-91-04-20 लघु तथा सीमान्त कृषकों के बोरिंग तथा पम्पसेट हेतु अनुदान	3.00	10.00	10.00	3.00	3.00
8	2702-80-800-91-03-29 ग्रेवेटी गूल मरम्मत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग जिला सैक्टर	224.50	815.26	815.26	224.50	224.50
	राज्य सैक्टर					
1	4702-00-796-00-01-25-ट्राईबल विकासखण्डों के अंतर्गत हाईड्रम निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	4702-00-796-00-02-25-जनजाति क्षेत्र अन्तर्गत आर्टीजन कूपों का निर्माण	30.00	45.00	45.00	30.00	30.00
3	4702-00-796-00-03-25-गूल हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण	25.00	45.00	45.00	25.00	25.00
	योग (T.S.P.)	55.00	90.00	90.00	55.00	55.00
1	4702-00-800-02-04-24-अनुसूचित लाभार्थ गूल हौज एवं पाइप लाईन निर्माण	30.00	3305.36	3305.36	0.00	0.00
	योग (S.C.S.P)	30.00	3305.36	3305.36	0.00	0.00
1	4702-80-051-03-24-आवासीय/अनावसीय भवन निर्माण	284.58	284.58	284.58	284.58	284.58
2	4702-80-800-04-24 अटल आदर्श ग्राम योजन्तर्गत गूल, हौज एवं पा0ला0 नि0	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	योग राज्य सैक्टर	369.58	3829.94	3829.94	339.58	339.58
	केन्द्रपुरोनिधानित योजना					
1	4702-00-800-1-04-24त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्ग सिंचाई गूलों का नि0	22600.00	17672.00	17672.00	8914.06	8914.06
2	टी0एस0पी0 (ए0आई0बी0पी0)	3600.00	390.00	390.00	0.00	0.00
3	एस0सी0एस0पी0 (ए0आई0बी0पी0)	1090.00	1370.00	1370.00	0.00	0.00
4	05- कृत्रिम भू-जल संचय	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
5	06- हाई0का सुदृढी0एवं अनुरक्षण	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
6	4702-00-800-01-06-29 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
7	4702-00-800-01-07-24-ड्रिप/स्प्रिंकलर के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	योग केन्द्र पुरोनिधानित	27293.01	19435.01	19435.01	8914.06	8914.06
	योग लघु सिंचाई	27887.09	24080.21	24080.21	9478.14	9478.14